

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 171]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 23 मार्च 2020 — चैत्र 3, शक 1942

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 23 मार्च 2020

अधिसूचना

क्रमांक F 3-59/2019/9/55-4. — छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट, 1949 (क्र. 36 सन् 1949) की धारा 50 के अंतर्गत राज्य सरकार, एतद्वारा, नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिए संक्रामक रोग घोषित करती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अधिसूचित संक्रामक रोग (Notified Infectious Disease) रोग घोषित करती है।

उपरोक्त अधिसूचना आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निहारिका बारिक सिंह, सचिव.